न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2024, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भागला जाति माली निवासी बैरावण्डया की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र भागला जाति माली निवासी बैरावण्डया की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. शिम्भू दयाल पुत्र भागल्या उर्फ भागला जाति माली निवासी बैरावण्डया की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. रामोतार पुत्र सुगरया जाति माली निवासी बैरावण्डया की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
4. सोमोती पुत्री सुगरया जाति माली निवासी बैरावण्डया की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
5. छोटेलाल पुत्र सुगरया जाति माली निवासी बैरावण्डया की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
6. फूली पुत्री सुगरया जाति माली निवासी बैरावण्डया की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
7. यूको बैंक शाखा बांदीकुई जरिये प्रबन्धक बांदीकुई जिला दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।
9. उप पंजीयक एवं सब रजिस्ट्रार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
10. श्री रामसिंह राजावत आर. ए. एस. उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई श्री रामसिंह राजावत आर. ए. एस. बाबत दावा मुकदमा नम्बर 113/2023 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 87/2023 उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम किशनलाल आदि आगामी पेशी 31.07.2024

उपस्थिति : श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री अमरसिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 5 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक:— 09.04.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 303 पुराना 286 आराजी खसरा नम्बर 1867/536 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 1868/560 रकबा 0.46 है., खसरा नम्बर 550 रकबा 0.48 है., कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 है. वाके ग्राम नन्देरा पटवार हल्का नन्देरा तहसील बांदीकुई में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:27 IST
Reason: SelfAttested

चला आ रहा है तथा खाता संख्या नया 302 पुराना 286 आराजी खसरा नम्बर 558 रकबा 0.03 है. ग्राम रामा नन्देरा पटवार हल्का नन्देरा तहसील बांदीकुई में स्थित चली आ रही है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की सहखातेदारी की भूमि है। जिसमे वादी का हिस्सा 1/6 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चला आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के यहां दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम किशनलाल आदि लम्बित है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जिसमे वादीगण का भी हक हिस्सा व कब्जा है। उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम किशनलाल आदि ने न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के यहां अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध पेश कर रखा है। प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा नजदीक–नजदीक की पेशी दी जा रही है। अप्रार्थी किशनलाल ने एलानिया कहा कि उप जिला कलक्टर बांदीकुई श्री रामसिंह राजावत जी से हमारी पूरी बातचीत हो चुकी है एवं उक्त प्रकरण का फैसला हमारे पक्ष में करवा लेंगे। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्रार्थी को स्वतंत्र न्याय की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह गुर्जर उपस्थित आये। उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 5 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उप जिला कलक्टर बांदीकुई के यहां विचाराधीन प्रकरण में तारीख पेशी 04.07.2024 नियत थी। जिसमे 04.07.2024 से आगामी पेशी कॉमन डेट 31.07.2024 नियत की गई। उक्त प्रकरण में उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा नजदीक–नजदीक तारीख पेशी दी जा रही है। अप्रार्थी किशनलाल ने दिनांक 16.07.2024 को ऐलानिया कहा कि उप जिला कलक्टर बांदीकुई श्री रामसिंह राजावत से हमारी पूरी बातचीत हो चुकी है। अब हम दिनांक 31.07.2024 को उक्त प्रकरण का फैसला हमारे पक्ष में करवा लेंगे। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्रार्थी को न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को उप जिला कलक्टर बांदीकुई के यहां से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकितानुसार उपरोक्त वाद में वर्णित सम्पत्ति में प्रार्थी जगदीश के भाई शिम्भूदयाल द्वारा खसरा नम्बर 1868/560 रकबा 0.46 है. में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 संजय कुमार सैनी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2022 को बेचान कर [illegible] 21.04.2022 को उप पंजीयक कार्यालय बांदीकुई में विक्रय पत्र पंजीकृत करवाकर कब्जा संजय कुमार को दे दिया। जिससे प्रार्थी द्वारा शिम्भूदयाल के पुत्र हुकमचन्द को बहलाकर एक वाद उदघोषणा का हुकमचन्द से अपने पिता शिम्भूदयाल के विरूद्ध करा दिया तथा एक वाद प्रार्थी द्वारा तकास्मा का करा दिया। जबकि प्रार्थी जगदीश व शिम्भूदयाल को शुरू से ही जानकारी रही है कि वादग्रस्त भूमि में शिम्भूदयाल द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्से का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र कर दिया किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:27 IST
Reason: SelfAttested

बिना क्रेता संजय कुमार को प्रकरणों में पक्षकार बनाये अपने परिवार के सदस्यों को पक्षकार बनाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जिससे क्रेता संजय कुमार का नामान्तरकरण नहीं खुल सका। संजय कुमार द्वारा प्रार्थी व उसके भतीजे हुकमचन्द के प्रकरणों में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा. दी. प्रस्तुत करने पर संजय कुमार के नामान्तकरण को देरीना करने की गरज से कतई गलत आधारों पर बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा कतई गलत व निराधार कथन कर पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया था जो कि अदालत हाजा द्वारा खारिज फरमा दिया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से बार–बार बिना किसी कारण के प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट में अंकितानुसार दावा मुकदमा नम्बर 113 / 2023 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 87 / 2023 उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम किशनलाल न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रस्तुत होने पर तलवी जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण की जाकर तारीख पेशी नियत की गई तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनकर वादग्रस्त भूमि पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम टी. आई. आदेश जारी किया गया है। प्रकरण दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक शेष प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 की तलवी नहीं कराई गई है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य मनगढन्त, असत्य एवं निराधार होना अंकित किया गया है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में प्रार्थी जगदीश प्रसाद द्वारा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 10 की तलवी नहीं करवाई जाकर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया गया है। प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत् कोई औचित्यपूर्ण तथ्य पेश नहीं किये गये है। प्रकरण को लम्बित रखने की नियत से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उप जिला कलक्टर बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:27 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा